

कार्यालय जिला परिषद अजमेर

क्रमांक: जिपअ/संस्था/ तृश्रेअ-द्विलेवल/

9229

दिनांक: 21-9-12

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 8706-13 दि. 07.09.12 एवं 8730 दिनांक 9.9.12 के अनुसरण में तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितिय स्तर (कक्षा 6 से 8) के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पंचायत समिति आवंटित की गई थी, में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार पंचायत समिति आवंटित की जाती है।

क्र. सं.	नाम	विषय	मेरिट न.	पूर्व में आवंटित पंचायत समिति	संशोधित पंचायत समिति
1	राकेश कुमार करमचन्दानी	विज्ञान गणित	09	केकडी	पीसांगन
2	सुनयना	"	73	भिनाय	पीसांगन
3	जितेन्द्र स्वामी	"	209	जवाजा	किशनगढ
4	अनिता	"	343	जवाजा	केकडी
5	मुकेश कुमार रेडिया	सामाजिक अध्ययन	370	जवाजा	केकडी
6	सीमा सारस्वत	"	2799	पीसांगन	भिनाय/पारस्परिक
7	गुलाम नवीं	"	135	भिनाय	पीसांगन/पारस्परिक
8	रामफूल चौधरी	"	190	जवाजा	किशनगढ
9	बाबूलाल बुखर	"	32	जवाजा	किशनगढ
10	ऋतु राठौड	"	189	अरांई	किशनगढ
11	सुनील गूर्जर	"	347	भिनाय	श्रीनगर
12	चन्द्रकान्ता सिरोहिया	"	747	भिनाय	जवाजा
13	पोलूराम चौधरी	"	259	जवाजा	अरांई
14	गोपाल लाल जाट	अंग्रेजी	83	भसूदा	अरांई
15	प्रियंका बारूपाल	"	230	जवाजा	भसूदा
16	एम दिलावर	"	88	भिनाय	किशनगढ
17	रेणु कुमारी	हिन्दी	47	भिनाय	किशनगढ

18	महेन्द्र खोखर	सामाजिक अध्ययन	195	जवाजा	किशनगढ़
19	हीना कोसर	उर्दु	09	पीसांगन	अजमेर शहर

अभ्यर्थी द्वारा पूर्व आवंटित पंचायत समिति के पदस्थापन अनुसार यदि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। संशोधित पंचायत समिति में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व आवंटित पंचायत समिति में ही दिनांक 24.09.12 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक: जिपअ/संस्था/ तृश्रेअ-द्विलेवल/ 9230-70 दिनांक:- 21-9-

प्रतिलिनि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) राज.जयपुर।
2. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, अजमेर
3. कलक्टर महोदय, अजमेर
4. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि) अजमेर को क्र.स. 19 पर अंकित अभ्यर्थी को उर्दु विषय के स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति/पदस्थापन जारी करने हेतु प्रेषित हैं।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, _____ को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित अभ्यर्थियों ने यदि कार्यग्रहण नहीं किया है तो संशोधित पंचायत समिति को नियुक्ति हेतु पत्रावली वाहक स्तर पर भिजवावें।
6. संबंधित अभ्यर्थी _____।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर